<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.—282/97 संस्थित दिनांक— 12.08.97

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- पहाड सिंह पुत्र रघुवीर यादव उम्र 42 साल निवासी— ग्राम पाडरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
- बुन्देल सिंह पुत्र कमल सिंह उम्र 60 साल निवासी— ग्राम बीलाखेडा चक थाना बहादुरपुर जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक..... को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—379 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.04.1997 को समय 06:00 बजे नानौन तालाब के पास फरियादी जोतेन्द्र सिंह व सूनील के आधिपत्य की दो घोडी व दो बघेरी की चोरी कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जितेन्द्र सिंह दो घाडियां व सुनील दो घोडियां तालाब किनारे रोजाना चरने के छोड देते थे। दिनांक 22.04.1997 को सुबह छः बजे उन लोगों ने घोडियां चरने के लिये छोडी थी, उक्त दिनांक को ही जब शाम को छः बजे सुनील की लडकी घोडी घेरने गई तो उसे घोडिया नही मिली जिसके बारे में उसने घर पर आकर बताया। फरियादी ने सुबह दूसरे दिन आस पास

के गांवों व जंगल में तलाश किया, पर घोडियों का पता नही चला। फरियादी ने दिनांक 24.04.97 को पुलिस थाना चंदेरी में 19:00 बजे घटना की रिपार्ट की जो प्रदर्श पी 9 के रोजनामचा सान्हा कमांक 1323 पर दर्ज की गई। उक्त रिपार्ट में फरियादी ने संहेदी के तौर पर पहाड सिंह निवासी नानौन का नाम लेख कराया। उक्त सूचना की जांच प्रधान आरक्षक गजराज सिह मीणा को दी गई। जिनके द्वारा 28.04.97 को जांच पूर्ण कर प्रदर्श पी 8 का प्रतिवेदन थाना प्रभारी चंदेरी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर दिनांक 29.04.97 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कमांक 138/97 अंतर्गत धारा 379 भा0द0वि0 तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्श पी 10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण की गई। विवेचना के कम में अभियुक्त पहाड सिह को गिरफ्तार कर उसका प्रदर्श पी 3 व 4 के मैमोरेण्डम लिये गये। उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर चोरी गई घोडियां अभियुक्त के बताये गये स्थान से प्रदर्श पी 5 व 6 जप्ती पत्रक अनुसार जप्त की गई। प्रकरण में विवचेना की गई, बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—11.12.13 को फरियादी जोतेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को फरियादी ज्योतेन्द्र सिंह की घोडी चोरी करने के आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा—379 से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया गया वहीं प्रकरण का विचारण सुनील की घोडी चोरी करने के संबंध में अभियुक्तगण पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत विचारण किया गया।
- 05— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.04.1997 को समय 06:00 बजे नानौन तालाब के पास प्रार्थी जितेंद्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह एवं सुनील पुत्र सुखलाल के आधिपत्य की चार घोडियां बिना उसकी अनुमति के बेईमानी पूर्वक उनके आधिपत्य से हटाकर एवं ले जाकर चोरी कारित की ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— फरियादी जोतेंद्र सिंह (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि 15—16 साल पहले सुनील (अ0सा0—2) उसे आकर बताया था कि उसकी और मेरी घोडी नही मिली है, जो तालाब के पास से चली गई थी। इस साक्षी ने अपने परीक्षण की कण्डिका 16 में यह स्वीकार किया है कि उसने दोनों आरोपीगण को घोड़ी ले जाते समय नहीं देखा। उसने संदेह के आधार पर नाम लिखाया था। सुनील (अ0सा0-2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि 14-15 साल पहले वह शामं के समय अपनी घोड़ा घोड़ी देखने के लिये गया था, तो उसे घोड़ा-घोड़ी नहीं मिले थे। जिसे वह गांव-गांव ढुंढने गया था। इस साक्षी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसकी एक घोड़ी व एक बघेरी थी जो कि लाल रंग की थी तथा छुट्टे राजा की भी एक घोड़ी और एक बघेरी थी वो काले रंग की थी।

- 08— फरियादी जोतेन्द्र सिह (अ0सा0—1) व सुनील (अ0सा0—2) के कथनों से स्पष्ट होता है कि उनकी घोडियों को उन्होने स्वयं अभियुक्तगण को ले जाते हुये नहीं देखा था। फरियादी जोतेन्द सिह (अ0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 16 में स्वय यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को घोडिया ले जाते हुये नहीं देखा था बल्कि संदेह के आधार पर पहाड सिह का नाम रिपोर्ट में लिखाया था। रिपोर्ट लेखक रिटायर्ड निरीक्षक एम0 ए0 हाशमी (अ0सा0—7) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 22.04.97 को फरियादी जोतेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) अपनी व सुनील (अ0सा0—2) की दो घोडी व दो बघेरी गुम होने की रिपोर्ट थाने पर की थी, जिसमें उन्होने ने संदेही के तोर पर पहाड सिंह यादव का नाम लेखबद्ध कराया था। इस साक्षी के अनुसार फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी के सान्हा कमांक—1112 दिनांक—22.04.97 पर दर्ज की गई थी। जिसके बाद आवारगी जांच प्रधान आरक्षक गजराज सिंह मीणा द्वारा की गई थी तथा जगराज सिंह मीणा के जांच उपरांत दिये गये लिखित प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 के आधार पर प्रदर्श पी 10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं उसके द्वारा लेखबद्ध की गई जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 09— एम0 ए० हाशमी (अ०सा०—७) के द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 में संदेही के तौर पर पहाड सिंह का नाम लेख है तथा लेखबद्ध की गई रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नही है कि किसी व्यक्ति ने अभियुक्तगण को फरियादी व सुनील (अ०सा०—2) की घोड़ी व बघेरी चोरी करते हुये देखा था। प्रदर्श पी 10 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी 9 एवं उस पर दिये गये, प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 फरियादी जोतेंद्र सिंह (अ०सा०—1) के कथनों की पुष्टि होती है कि उसके द्वारा स्वयं की एवं सुनील की दो हो व दो बघेरी चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में कि थी। जिसमें संदेही के तौर पर पहाड़ सिंह को नाम लेख कराया था। सुनील (अ०सा०—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में चोरी गई घोड़ी और बघेरी का जो हुलिया बताया है उसकी पुष्टि भी प्रदर्शपी 9 के सान्हा एवं प्रदर्श पी 10 की रिपोर्ट से होती है।
- 10— अतः ऐसे में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी जोतेन्द्र सिह (अ0सा0—1) व सुनील (अ0सा0—2) की दो घोड़ी व दो बघेरी को कोई अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया था। जिसकी फरियादी द्वारा थाने पर रिपोर्ट भी की गई थी। फरियादी के द्वारा थाने पर की गई रिपोर्ट में संदेही के तौर पर अभियुक्त पहाड़ सिंह का नाम बताया गया था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यों हो, वह साक्ष्य

का स्थान नहीं ले सकता है। अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी जोतेन्द्र सिहं (अ०सा0–1) व सुनील (अ०सा0–2) की घोड़ी व बघेरी की चोरी की थी यह अभियोजन को संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर साबित करना है, मात्र संदेह के आधार पर किसी की दोषी नहीं माना जा सकता है।

- 11— फरियादी जोतेन्द्र (अ०सा०—1) व सुनील (अ०सा०—2) के कथनों से एव प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट होता है कि इन दोनो ही साक्षियों ने घोड़ी व बघेरी की चोरी करते हुये अभियुक्तगण को नहीं देखा है। अभियोजन की ओर से सुनील (अ०सा०—2) की पुत्री रानी (अ०सा०—6) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसने अभियोजन कहानी के अनुसार सर्व प्रथम घोड़ी न मिलने की सूचना घर पर दी थी। अभियोजन कहानी के अनुसार इस साक्षी ने भी अभियुक्तगण को घोड़ियां चुराते हुये नहीं देखा। यह साक्षी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करती है तथा कहती है कि घटना के समय वह बहुत छोटी थी। अतः फरियादी जोतेन्द्र (अ०सा०—1) व सुनील (अ०सा०—2) की घोड़ियां अभियुक्तगण द्वारा चुराई गई, इसकी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभियोजन के पास अभिलेख पर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में अनुसधानकर्ता अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लिये गये मैमोरेण्डम एवं उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर चोरी गई माल की जप्ती महत्वपूर्ण हो जाती है। जिसको संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है।
- 12— वर्तमान प्रकरण में पहाड सिंह के मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 व 4 के आधार पर की गई जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी 5 व 6 अनुसन्धानकर्ता अधिकारी प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा द्वारा की गई। प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा का प्रकरण में साक्ष्य देने से पूर्व ही देहान्त हो जाने के कारण वह उक्त मैमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही के संबंध में कथन देने के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तथा उक्त पत्रकों पर उसके हस्ताक्षरों की पहचान तत्कालीन निरीक्षक एम0 ए0 हाशमी (अ0सा0-7) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि मात्र प्रदर्श पी 3 व 4 के मैमों एवं जप्ती पत्रक प्रदर्शपी 5 व 6 पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित होने से उक्त पत्रकों पर दर्शायी गई कार्यवाही को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा किस दिनांक को क्या कार्यवाही की गई, यह या तो स्वयं अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से साबित हो सकता है। समक्ष उनके द्वारा कार्यवाही की गई, उनकी साक्ष्य से साबित हो सकता है।
- 13— प्रकरण में अभियोजन के अनुसार प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 व 4 एवं जप्ती प्रदर्श पी 5 व 6 एवं पहाड सिंह की गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 की कार्यवाही साक्षी बादाम सिंह (अ0सा0—3) व रघुवीर सिंह (अ0सा0—5) के समक्ष की गई, जिसकों प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से बादाम सिंह (अ0सा0—3) व रघुवीर सिंह (अ0सा0—5) के कथन न्यायालय में कराये गये। बादाम सिंह (अ0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। इस साक्षी ने प्रदर्श पी 3, 4, 5, व 6 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये हैं, परन्तु इस साक्षी

का कहना है कि उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार रघुवीर (अ०सा०–5) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

- 14— रघुवीर सिह (अ०सा०—5) अपने कथनो में इस बात की पुष्टि तो करता है कि उसने दिन डुबने से पहले ग्राम पथिरया में दो घोड़ी और दो बघेरी देखी थी जिसे गांव के लोग घेरे खेड़े थे तथा बाद में रात में पुलिस वहा पर आई थी और लिखा—पढ़ी की थी एवं उससे नाम भी पूछा था, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है कि उसके सामने पुलिस ने पहाड़ सिंह पुत्र रघुवीर नाम के व्यक्ति से न तो कोई पूछताछ की और न ही पहाड़ सिह ने घोड़ी और बघेरी चोरी करने के संबंध में उसके सामने पुलिस को कोई कथन दिये। इस साक्षी ने अपने परीक्षण में इस बात से भी इन्कार किया कि उसके सामने ग्राम पथिरया में नाले के पास खजूर के पेड़ से बंधी हुई, दो घोड़ी और एक बघेरी जप्ती की थी तथा इस बात का भी खण्डन किया कि बुन्देल सिह के मकान से पुलिस ने एक बघेरी जप्ती की थी। इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि उसने घोड़ी व बघेरी गांव में खुली हुई देखी थीं।
- 15— बादाम सिंह (अ०सा0—3) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षविरोधी कर उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया था। वही रघुवीर सिंह (अ०सा0—5) का भी न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनो ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात का लेषमात्र भी समर्थन नही किया कि अभियुक्त पहाड सिंह के द्वारा प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा को चोरी की गई घोडी व बघेरी जप्त कराने के संबंध में कथन दिये गये थे तथा उक्त कथनों के आधार पर उनके सामने प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा द्वारा अभियुक्तगण के आधिपत्य से फरियादी जोतेन्द्र (अ०सा0—1) व सुनील (अ०सा0—2) की घोडी और बघेरी जप्त की गई थी। अतः ऐसे में अभिलेख पर प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण द्वारा की गई मैमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है।
- 16— एम0ए० हाशमी (अ0सा0—7) अपने न्यायालीन कथनों में प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा के प्रदर्श पी 3, 4, 5, 6 व 11 पर हस्ताक्षरों की पहचान करने के साथ उनके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में कथन अवश्य दिये हैं, परन्तु प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा द्वारा की गई कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिये इस साक्षी की साक्ष्य प्रकरण में ग्राहय नही है। ए० एम० हाशमी (अ0सा0—7) के द्वारा प्रदर्श पी 3, 4, 5, 6 व 11 पर कैलाश नारायण शर्मा के हस्ताक्षरों की पहचान करने से यह तो प्रमाणित होता है कि उक्त पत्रकों की लिखा—पढ़ी कैलाश नारायण शर्मा द्वारा या उनके निर्देशन में की गई है, परन्तु वास्तविकता में प्रदर्श पी 3, 4, 5, 6 व 11 पर उल्लेखित कार्यवाही सत्य है या साबित करने के लिये ए० एम० हाशमी (अ0सा0—7) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन साक्ष्य में ग्राहय नही है क्योंकि मात्र केलाश नारायण शर्मा के उक्त पत्रकों पर हस्ताक्षर होने के आधार पर निरीक्षक ए० एम० हाशमी (अ0सा0—7) यह नही कह सकता है कि उक्त पत्रकों की कार्यवाही विधिवत प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा द्वारा की गई। उक्त कार्यवाही या तो कैलाश नारायण शर्मा के द्वारा साबित की जा सकती थी या

फिर जिन साक्षियों के समक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही की गई, उनके द्वारा साबित की जा सकती है, जो कि अभियोजन साबित करने में सफल नही हुआ। दस्तावेजों का मात्र प्रस्तुत कर उस पर प्रदर्श अंकित होना उसका प्रमाणित होना नही माना जा सकता है।

- 17— यह भी उल्लेखनीय है कि यदि तर्क के लिये कैलाश नारायण शर्मा के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में ए० एम० हाशमी (अ०सा०—7) के कथन यदि साक्ष्य में ग्राहय कर भी लिये जावे तब भी प्रकरण में किया गया अनुसंधान अपने आप में अभियुक्तगण को फरियादी व सुनील (अ०सा०—2) की घोडी व बघेरी चोरी के आरोप को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नही है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त बुन्देल सिंह को किसी भी व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम तो चोरी करते हुये नहीं देखा गया। अभियुक्त बुन्देल सिंह का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मैमोरेण्डम तक नहीं लिया गया है और न ही बुन्देल सिंह के बताये अनुसार प्रकरण में बुन्देल सिंह के आधिपत्य से जप्ती की कार्यवाही हुई है। प्रकरण में पहाड सिंह के मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 4 के आधार पर बुन्देल सिंह के आधिपत्य से एक बघेरी प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त होना बताया गया है। जबिक विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि एक अभियुक्त की सूचना का दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता हैं, इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2009 "1" एम पी एस टी 478 में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है।
- 18— प्रकरण में थाने पर दिनांक 24.04.97 को 19:00 बजे घोड़ी और बघेरी चोरी की सूचना फिरयादी जोतेन्द्र सिह (अ0सा0—1) के द्वारा पुलिस थाना चदेरी पर दी गई जो कि प्रदर्श पी 9 के सान्हा पर उक्त दिनांक को ही दर्ज भी की गई। प्रधान आरक्षक गजराज सिंह मीणा के द्वारा आवारगी जांच की गई जिसमें दी गये प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 में पहाड़ सिंह के शातिर बदमाश होने के कारण उसी के द्वारा चोरी किये जाने का निष्कर्ष तक प्रदर्श पी 8 के प्रतिवेदन में दिया गया। जबिक उस समय तक कोई घोड़ी या बघेरी अभियुक्त से या उसके बताये अनुसार जप्त नहीं हुई थी। प्रदर्श पी 8 का प्रतिवेदन दिनांक 28.04.97 को दिया गया, परन्तु इसके बाद भी एक दिन बाद दिनांक 29.04.97 को सुबह सात बजे अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एक दिन बाद या घटना की सूचना दिनांक 24.04.97 को प्राप्त होने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध क्यों नहीं किया गया। इसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है।
- 19— प्रधान आरक्षक कैलाश नारायण शर्मा द्वारा तैयार किये गये मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 दिनांक 29.04.97 को 07:30 बजे साक्षी बादाम सिंह व रघुवीर के समक्ष ग्राम पथिरया के नाले के पास लिया जाना लेख है, जिसमें पहाड सिंह के द्वारा दी गई यह सूचना लेख है कि चुराई गई दो घोडी और एक बघेरी उसने पथिरया के नाले के पास खजूर के पेड से बांध दी है अर्थात जिस स्थान पर प्रदर्श पी 3 का मेमोरेण्डम लिया गया है उसी स्थान के निकट मैमोरेण्डम अनुसार दो घोडी और एक बघेरी खजूर के पेड से बांधे जाने की सूचना अभियुक्त पहाड सिंह ने दी है।परन्तु इसके बाद भी मैमोरेण्डम के बाद जप्ती की कार्यवाही 50 मिनिट बाद 20:00 बजे प्रदर्श पी 5 के जप्ती पत्रक में बतायी है यदि मैमोरेण्डम उसी स्थान पर लिया गया जहां से घोडी और बघेरी जप्त की गई तो इस कार्यवाही में लगभग एक घण्टे का समय लगने का कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर प्रस्तुत

नही है।

- 20— यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 3 के मैमोरेण्डम में अभियुक्त पहाड सिह द्वारा दी गई यह सूचना लेख है कि एक बघेरी भाग गई थी जिसके पीछे पीछे बुन्देल सिह गया है। परन्तु उसके बाद दिनांक 01.05.97 को पुनः अभियुक्त पहाड सिंह का ही मेमोरेण्डम लिया गया जिसमें उसने बछेरी बुन्देल सिंह के मकान स्थित बीलाखेडा चक में बांध कर रखना बताया है। अभियुक्त दिनांक 29.04.97 से अभिरक्षा में था और यदि उसने पुलिस को यह कथन दे दिया था कि एक बछेरी भाग गई है, जिसके पीछे बुन्देल सिंह गया है तो दो दिन बाद अभियुक्त पहाड सिंह को यह जानकारी कैसे हुई कि भागी हुई बछेरी बुन्देल सिंह ने अपने मकान में बांध कर रखी है। यह कही अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है।
- 21— निरीक्षक एम0 ए० हाशमी (अ०सा०—७) का कहना है कि उनके द्वारा दिनांक 29.04.97 को प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्श पी 10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद उसी दिन अभियुक्त पहाड सिंह की प्रदर्श पी 11 के अनुसार गिरफ्तारी दर्शायी गई तथा उसी दिनांक को प्रदर्श पी 3 के मैमोरेण्डम के आधार पर प्रदर्श पी 5 के मुताबिक जप्ती की कार्यवाही दर्शायी गई, जो कि एक ही दिन में की गई। घटना की सूचना दिनांक 24.04.97 को प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 29.04.97 तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना तथा दिनांक 29.04.97 को प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत एक ही दिन में लगभग सभी विवेचना पूर्ण करने से निश्चित रूप से प्रकरण की विवेचना संदेहास्पद प्रतीत होती है और यह संदेह और प्रबल फरियादी जोतेन्द्र (अ०सा०—1) व सुनील (अ०सा०—2) के कथनों से हो जाता है।
- 22— प्रदर्श पी 3 के मेमोरेण्डम के अनुसार मेमोरेण्डम ग्राम पथिरिया के नाले के पास साक्षी बादाम सिंह व रघुवीर के समक्ष लिया गया तथा प्रदर्श पी 4 का मेमोरेण्डम दिनांक 01. 05.97 को भी ग्राम पथिरिया में उपरोक्त साक्षियों के समक्ष ही ग्राम पथिरिया में बादाम सिंह के मकान के चबूतरे पर लिया जाना लेख है, जबिक अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। यदि अभियुक्त पहाड सिंह को कोई सूचना दी थी, तो वह थाने पर ही दे सकता था। ग्राम पथिरया में उन्ही साक्षियों के समक्ष पुनः प्रदर्श पी 4 का मेमोरेण्डम लेख किये जाने का कोई युक्ति—युक्त कारण दर्शित नहीं किया गया। प्रदर्श पी 3 व 4 दिनांक 29.04.97 एवं 01.05.97 को ग्राम पथिरया में लिये जाना लेख है। जिसके आधार पर ग्राम पथिरया में ही बादाम सिंह के मकान के सामने से मैदान से खजूर के पेड के पास से दो घोडी और एक बघेरी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 5 के अनुसार दिनांक 29.04.97 को जप्त किया जाना बताया गयां तथा ग्राम बीलाखेडी से दिनांक 01.05.97 को बुन्देल सिंह के मकान से एक बघेरी प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त किया जाना लेख है।
- 23— फरियादी जोतेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) एवं सुनील (अ०सा0—2) अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्रकों में दर्शायी गई, कार्यवाही से भिन्न न्यायालय में अलग ही घटना

बताते हैं। जोतेन्द्र सिंह (अ०सा०—1) का कहना है कि घटना के बाद वह स्वयं पहाड सिंह के घर पहुचा था तथा पहाड सिंह ने उसे बुन्देल सिंह का घर करीला मंदिर के पास किसी गाव में बताया था और उसी अंदाजे से वह घोडियों को ढूढ़ने के लिये पहुंचा था, जो उसे करीला मंदिर के पास एक तालाब में बेशरम की झाडियों में मिली थी। इसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 14 में भी यह कहना है कि घोडिया करीला के पास मोला डैम की बेशरम में मिली थी, जिसके बाद वह घोडियों को लेकर ग्राम पथरिया आ गया था। इसी प्रकार सुनील (अ०सा०—2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी की कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि वह घोडा और घोडी को ढूढ़ने के लिये गांव—गांव गये थे जो उन्हें बाद में करीला और पथरिया के पास मिली थी तथा इसके बाद वह घोडा और घोडी लेकर ग्राम पथरिया आ गये थे।

- 24— फरियादी जोतेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) व सुनील (अ०सा0—2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार यह दोनों ही साक्षी पुलिस की कार्यवाही से पहले ही घोडी और बघेरी को करीला के पास उन्हें मिल जाना बताते हैं तथा बाद में यही दोनों व्यक्तियों द्वारा करीला मंदिर के पास मिली घोडियों को पथरिया में लेकर आना बताया है और उसके पश्चात् पुलिस थाना चंदेरी को सूचना देना बताया है। अतः जोतेन्द्र सिंह (अ०सा0-1) व सुनील (अ०सा0-2) के कथन अनुसार घोडिया पुलिस द्वारा जप्त नही की गई थीं और न ही उनकी घोंडा-घोडी पुलिस ने पहाड सिंह के द्वारा दिये गये मैमोरेण्डम के आधार पर तथा मेमोरेण्डम में बताये गये, स्थान से जप्त की थी। बल्कि इन साक्षियों के अनुसार उन्होने ने ही पुलिस को घोडा-घोडीं करीला के पास मिल जाने पर पथरिया ग्राम पहुँच कर सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की थी। इन साक्षियों के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन इसलिए भी विश्वसनीय प्रकट होते है, क्योंकि कि पुलिस द्वारा एक दिन में दिनांक 29.04.97 को लगभग संपूर्ण कार्यवाही की गई है जो कि तभी संभव है जब पहले से सभी कार्यवाही पूर्व नियोजित हो। जप्ती साक्षी रघुवीर ने अपने न्यायालीन कथनों में मेमारेण्डम व जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही के संबंध में कोई कथन नही दिये हैं परन्तु इस साक्षी ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी जोतेन्द्र (अ०सा०–1) व सुनील (अ०सा०–2) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह स्पष्ट किया है कि उसने घोड़ी और बघेरी को गांव में ही देख लिया था तथा बाद में रात में पुलिस आ गई थी।
- 25— अतः उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित होता है कि फरियादी जोतेन्द्र (अ०सा०—1) व सुनील (अ०सा०—2) को पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से पहले ही घोडियां करीला के पास प्राप्त हो गई थी, तथा घोडियां प्राप्त होने के पश्चात पुलिस ने मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही की है। फरियादी जोतेन्द्र सिह (अ०सा०—1) का कहना है कि करीला मंदिर के पास उसे घोडियां मिल गयी थी, जबिक मैमोरेण्डम व जप्ती पत्रक अनुसार घोडियों को छुपाने एवं जप्त होने का स्थान ग्राम पथरिया व ग्राम बीलाखेडा अभियुक्त बुन्देल सिह का मकान बताया है। यदि घोडा—घोडी पहले ही फरियादी व सुनील को प्राप्त हो गये थे और वह उन्हें लेकर पथरिया आ गये थे और पथरिया मे आकर उन्होने पुलिस को सूचना दे दी थी, तो ऐसे में मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 व 4 का लिया जाना एवं उसके आधार पर प्रदर्श पी 5 व 6 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्ती की कार्यवाही किया

जाना मात्र कागजी कार्यवाही प्रतीत होती है जो कि पश्चात्वर्ती सोच पर आधारित प्रतीत होती है।

- 26— फरियादी जोतेन्द्र सिंह कहना है कि उसने आरोपी बुंन्देल सिंह को करीला मंदिर के पास देखा था तथा बुन्देल सिंह के बंजारे के घर में रह जाने पर अभियुक्त पहाड सिंह घोडियों को घेर रहा था तथा पहाड सिंह ने उसे बताया था कि बुंन्देल सिंह ही घोडियों को लेकर आया था। यदि ये मान भी लिया जावे कि पहाड सिंह ने ऐसे कोई कथन जोतेन्द्र सिंह को दिये थे तो उक्त कथन अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं जो साक्ष्य में ग्राहय नही है। पुलिस के द्वारा घटना में चोरी गई घोडा घोडी अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त की इसका खण्डन स्वयं फरियादी जोतेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) व सुनील (अ०सा0—2) अपने न्यायालीन कथनों में किया है तथा इन दोनो साक्षियों के कथन अनुसार घोडा घोडी की जप्ती पुलिस ने ग्राम पथरिया में उनकी सूचना पर उनके आधिपत्य से की है।
- 27— प्रकरण में अभियोजन के अनुसार शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 की कार्यवाही अर्जुन सिंह धाकड (अ०सा0—4) के द्वारा करायी गई जो कि उस समय सरंपच था। अर्जुन सिंह धाकड (अ०सा0—4) ने शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है, परन्तु घोडा—घोडी की शिनाख्ती कराने से यह कहते हुये इन्कार किया है कि उसे याद नहीं। इस साक्षी का यह कहना है कि पुलिस वाले प्रदर्श पी 1 का दस्तावेज लिखकर लाये थे, जिस पर उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। अतः प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही की गई यह साक्षी के कथनों से प्रमाणित नहीं होता है। प्रदर्श पी 1 की कार्यवाही की सत्यता का अनुमान फरियादी जोतेन्द्र (अ०सा0—1) एवं सुनील (अ०सा0—2)के कथनों से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इन दोनो ही व्यक्तियों ने पुलिस के द्वारा घोडा—घोडी जप्त करने से पूर्व ही उन्हें ढूंढ ली थी तथा बाद में पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई थी।
- 28— जोतेन्द्र सिंह (अ०सा०—1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में यह स्पष्ट कहना है कि पुलिस द्वारा घोडियां थाने पर बुलवाई गई थी तथा प्रदर्श पी 1 के पंचनामें के समय वह नही था। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 16 में यह कहना है कि पुलिस ने घोडियों की पहचान चंदेरी थाने में करायी थी तथा प्रतिपरीक्षण कण्डिका 20 में इस साक्षी का स्वयं कहना है कि घोडियों को वह स्वयं ही चंदेरी थाने दूसरे दिन ले आया था। इसी प्रकार सुनील (अ०सा०—2) ने भी अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि वह स्वयं चंदेरी थाने पर घोडा—घोडी लेकर गये थे, जहां थाने पर ही घोडियों की पहचान करायी थी तथा प्रदर्श पी 1 के पंचनामें पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है तथा इस साक्षी का कहना है कि उसने ग्राम पथरिया में शिनाख्ती कार्यवाही में अपने जानवर पहचान लिये थे।
- 29— अतः जोतेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) व सुनील (अ०सा0—2) के कथनों से शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 की सत्यता खण्डित हो जाती है, क्योंकि जो घोडियां पुलिस की जप्ती से

पहले ही फरियादी व सुनील (अ०सा0—2) ने ढूंढ ली थी तथा वह स्वयं ही उन घोडियों को लेकर थाने भी गये थे, तो ऐसे में घोडियों की शिनाख्त कराये जाने का कोई औचित्य ही नही रह गया था, परन्तु इसके पश्चात् भी प्रदर्श पी 1 का पंचनामा तैयार किया गया, जिसकी कार्यवाही को न तो स्वयं पंचनामा लेखक अर्जुन सिंह धाकड (अ०सा0—4) स्वीकार करता है और न ही पहचान करने वाले साक्षी जोतेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) व सुनील (अ०सा0—2) स्वीकार करते हैं।

- 30— अभिलेख पर आई साक्ष्य से निश्चित रूप से यह प्रमाणित है कि फरियादी व सुनील (अ0सा0-2) की घोडा घोडी किसी के द्वारा चुराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होने थाने पर की थीं, परन्तु उक्त घोडिया अभियुक्तगण ने चुराई इसको साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अभिलेख पर इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नही है, कि अभियुक्तगण के आधिपत्य से उनके मेमोरेण्डम के आधार पर प्रकरण में घोडियां जप्त हुई थी। घटना में चोरी गई घोडा-घोडी पुलिस ने अभियुक्त के मेमोरेण्डम के आधार पर जप्त न करके फरियादी की सूचना पर फरियादी जोतेन्द्र सिह (अ०सा0-1) व सुनील (अ०सा0-2) के आधिपत्य से जप्त की थी। इसके विपरीत प्रदर्श पी 3, 4, 5, 6 व 11 के पत्रक तैयार किये गये जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नही था। अभियुक्तगण को न तो किसी ने चोरी करते हुये देखा और न ही उनकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा मैमारेण्डम व जप्ती की कार्यवाहीं की गई। फरियादी जोतेन्द्र (अ0सा0-1) व सुनील (अ0सा0-2) व जप्ती व गिरफतारी के साक्षी बुन्देल सिंह (अ०सा0-4) के कथनों सें संपूर्ण विवेचना संदेहास्पद है वही प्रकरण में मेमीरेण्डम व जप्ती व गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3, 4, 5, 6 व 11 को साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्तगण को प्राप्त होता है ।
- 31— किसी भी प्रकरण में दोषसिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस प्रकरण की संपूर्ण विवेचना संदेहास्पद है तथा विवेचना में कि गई कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिये भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 22.04.1997 को समय 06:00 बजे नानौन तालाब के पास प्रार्थी जोतेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह एवं सुनील पुत्र सुखलाल के आधिपत्य की चार घोडियां बिना उसकी अनुमित के बेईमानी पूर्वक उनके आधिपत्य से हटाकर एवं ले जाकर चोरी कारित की।
- 32— फलस्वरूप <u>अभियुक्तगण पहाड सिंह पुत्र रघुवीर यादव, बुन्देल सिंह पुत्र कमल सिंह</u> के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—379 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्तगण पहाड सिंह पुत्र रघुवीर यादव, बुन्देल सिंह पुत्र कमल सिंह</u> को भा०दं०वि० की धारा—379 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

33— अभियुक्तगण पहाड सिंह पुत्र रघुवीर यादव, बुन्देल सिंह पुत्र कमल सिंह के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा घोडी और बघेरी पूर्व से फरियादी जोतेंद्र एवं सुनील की सुपुर्दगी पर सुपुर्दनामा वाद मियाद अपील भार मुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)